न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./03/2024

1. लादू राम पुत्र जेठमल जाति कलाल निवासी चांपानेरी तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति उच्छबा पुत्री लादू
2. श्रीमति बदाम देवी पत्नी लादू
3. भागचन्द पुत्र लादू
4. महावीर पुत्र लादू
5. रामनिवास पुत्र लादू
6. श्यामलाल पुत्र लादू
7. शिवराज पुत्र लादू
8. सुनीता पुत्री लादू
9. सांवरलाल पुत्र लादू समस्त जातिगण खाती निवासीगण चांपानेरी तहसील भिनाय
10. कमलेश पुत्र सत्यनारायण
11. कोमल पुत्री सत्यनारायण नाबालिक संरक्षक सरपरस्त माता मधुबाला
12. गीता देवी पुत्री रामदेव
13. पुजा पुत्री सत्यनारायण
14. मधुबाला पत्नी सत्यनारायण
15. शंकरलाल पुत्र रामदेव
16. शांति देवी पत्नी रामदेव
17. सुरेश चन्द्र जांगिड़ पुत्र रामदेव
18. सीता देवी पुत्री रामदेव समस्त जातिगण खाती समस्त निवासीगण खायड़ा तहसील भिनाय
19. ओमप्रकाश पुत्र बालू
20. प्रभुलाल पुत्र बालू
21. मोहनी देवी पुत्री बालू
22. रामुड़ी देवी पत्नी बालू
23. रामप्रसाद पुत्र बालू
24. सत्यनारायण पुत्र बालू
25. सोनल पुत्री बालू समस्त जातिगण धोबी समस्त निवासीगण चांपानेरी तहसील भिनाय, जिला केकड़ी
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री मोहम्मद युसुफ
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा चांपानेरी पटवार क्षेत्र चांपानेरी भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 971 में दर्ज खसरा नं. 2295 रकबा 0.25 कुल किता 01 कुल रकबा 0.25 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 25 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 26 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 25 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 25 तक के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम चांपानेरी के खाता संख्या 971 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा चांपानेरी पटवार क्षेत्र चांपानेरी भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 971 में दर्ज खसरा नं. 2295 रकबा 0.25 कुल किता 01 कुल रकबा 0.25 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार देवलियाकलां को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी भिनाय, केकड़ी
भिनाय (केकड़ी)

Scanned with CamScanner